2005:छ.ग.उ.न्याः2724

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्याः1010/2004

याचिकाकर्ता

जोहन राम पिता मान सिंह,
याचिका संख्याः211232;
नगरीय रखरखाव विभाग,
नगर-राजहरा,
थाना-राजहरा,
जिला-दुर्ग.(छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, प्रबंधनिदेशक के द्वारा, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला-दुर्ग.(छ.ग.)
2. नगर प्रशासक, आइ.ओ.सी. राजहरा, जिला-दुर्ग.(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका</u>

1 याचिकाकर्ताओं का विवरणः जैसा की ऊपर दिया गया है।

2005:छ.ग.उ.न्या:2724

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)
रिट याचिका संख्याः1010/2004

जोहन राम

बनाम

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

सूचीबद्ध दिनांक - 25.01.2005
सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

2005:छ.ग.उ.न्या:2724

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)
रिट याचिका संख्याः1010/2004

जोहन राम

बनाम

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, और अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से	:-	श्री अशोक वैष्णव अधिवक्ता
उत्तरवादीगण की ओर से	:-	श्री पी.दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित कु.पृथा घोषाल अधिवक्ता

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश
(25.01.2005)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विविध सिविल अपील संख्या 5/2003 में अपर जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा पारित दिनांक 28.2.2004 (अनुलग्नक पी-9) के आक्षेपित आदेश की वैधता को पर्याप्त रूप से चुनौती दी है।

(2) प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, बालोद की न्यायालय में एक व्यवहार वाद दायर किया था, जिसमें यह घोषणा करने की अनुतोष मांगी गई

थी कि याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 09.11.1948 है। उन्होंने आगे दावा किया कि उक्त जन्म तिथि के अनुसार, वह 60 वर्ष की आयु (सेवानिवृत्ति की आयु) तक कार्य करने के हकदार हैं और उसके बाद उन्हें 30.11.2008 को सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उत्तरवादीगण को 31.3.2003 को याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने से रोका जाना चाहिए। वादपत्र की एक प्रति अनुलग्नक पी-3 के रूप में है। याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे 27.03.1973 को श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उसे 17.1.1979 को नगर प्रशासन, राजहरा के सिविल अनुरक्षण विभाग में नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में, त्रुटिपूर्ण तरीके से, उनकी जन्म तिथि 26.3.1938 दर्ज की गई थी। 17.1.1979 को उनकी नियमित नियुक्ति के समय, उनकी जन्म तिथि पुनः 18.1.1952 दर्ज की गई थी वह भी उचित नही थी। वास्तव में उनकी जन्म तिथि 09.11.1948 है तथा सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के अनुसार वे 30.11.2008 को सेवानिवृत्त होंगे। जब 31.3.2003 को सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस प्राप्त हुआ तो वाद का कारण उत्पन्न हुआ तथा याचिकाकर्ता ने वर्तमान वाद दायर किया। याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी आवेदन दायर किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि उत्तरवादीगण को 31.3.2003 को वादी/याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति को प्रभावी करने से रोका जाना चाहिए और 28.2.2003 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) विचारण न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 29.3.2003 के आदेश के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया। यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 28.02.2003 के आदेश के अनुसरण में सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तरवादीगण ने बालोद के अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष एम.ए. संख्या 5/2003 के तहत विविध अपील दायर की। उक्त विविध अपील का अंतिम रूप से 28.2.2004 के आक्षेपित आदेश द्वारा निर्णय लिया गया तथा उसे स्वीकार कर लिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा 29.3.2003 को दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया गया। विविध अपीलीय न्यायालय के समक्ष उत्तरवादीगण के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि वास्तव में, वादी द्वारा उठाया गया वास्तविक विवाद सेवा से सेवानिवृत्ति के संबंध में विवाद था और यह ''औद्योगिक विवाद'' के अर्थ में आता है इसलिए व्यवहार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित था। चूंकि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित था, अतः यह वाद स्वयं पोषणीय नहीं था और विचारण न्यायालय द्वारा कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया होता।

(4) इस तर्क की विवेचना करते हुए अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह विवाद वास्तव में एक औद्योगिक विवाद है और इसके लिए व्यवहार न्यायालय को वाद चलाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है। अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध ही वादी ने यह याचिका दायर की है, जो अंततः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर त्रुटि की है कि जन्मतिथि में सुधार से संबंधित विवाद एक औद्योगिक विवाद है, इसलिए सिविल वाद पोषणीय नहीं है। वास्तव में, अपीलीय न्यायालय ने वाद की पोषणीयता के संबंध में निषेधाज्ञा देने के प्रारंभिक चरण में ही कोई विवाद्यक विरचित किए बिना और संबंधित पक्षों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही निष्कर्ष दे दिया। उन्होंने अपीलीय न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उत्तरवादीगण ने इस प्रकरण में अपना जबाब दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों को गुण-दोष के आधार पर नकारते हुए उत्तरवादीगण ने इस रिट याचिका की पोषणीयता पर भी आपत्ति जताई है। यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य नहीं है। गुण-दोष के आधार पर, निवेदन यह है कि वास्तव में, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच उठाए गए ऐसे विवाद पर विचार करने के लिए व्यवहार न्यायालयों के पास कोई अधिकार नहीं है और यह विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे उचित फोरम के समक्ष जाना चाहिए और सिविल वाद स्थिरता योग्य नहीं है। विविध अपीलीय न्यायालय ने उचित अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि व्यवहार वाद मान्य नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया

प्रकरण नहीं था और निषेधाज्ञा आवेदन को उसके द्वारा उचित ढंग तरीके से खारिज कर दिया गया है।

(7) मैंने विद्वान अधिवक्ता की बात विस्तार से सुनी है और रिट याचिका के साथ दायर किए गए अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) सर्वप्रथम पहले, याचिका की पोषणीयता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने अपर जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए विधि के तहत उपलब्ध प्रपत्र का उपयोग किए बिना सीधे इस न्यायालय का शरण लिया और इस तरह की रिट याचिका पोषणीय नहीं है। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत प्रावधान का संदर्भ लिया है और जवाबदावा के कंडिका 1 में उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति का भी अवलंब लिया है । उक्त विवाद्यक पर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सी.पी.सी. की धारा 115 के संशोधित प्रावधानों के लागू होने के प्रभाव से, अब पक्षकारों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के अलावा कोई अन्य उपचार नहीं बचा है। उन्होंने निवेदन किया है कि चूंकि सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण वर्जित है, इसलिए वादी के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई उपचार नहीं है और यह रिट याचिका कानून के उपरोक्तभारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विविध सिविल अपील संख्या 5/2003 में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपर जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा पारित दिनांक 28.2.2004 (अनुलग्नक पी-9) के आक्षेपित आदेश की वैधता को पर्याप्त रूप से चुनौती दी है।

(9) इस **विवाद्यक** पर विधि सुस्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिव शक्ति सहकारी हाउसिंग सोसाइटी नागपुर बनाम स्वराज डेवलपर्स और अन्य (2003) प्रतिवेदित 6 एस.सी.सी. पृष्ठ 659** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 115 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रश्न पर बल दिया गया है कि क्या संशोधन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में आदेश से वाद या अन्य कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यदि उत्तर ''हां'' है, तो पुनरीक्षण पोषणीय है लेकिन इसके विपरीत, यदि उत्तर ''नहीं'' है, तो पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। इसलिए, यदि आक्षेपित आदेश अंतरिम प्रकृति का है या विधिक रूप से निर्णय नहीं करता है, तो पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा। (कृपया निर्णय के कंडिका 32 को देखें)।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने **सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय एवं अन्य प्रतिवेदित (2003) 6 एससीसी 675** के मामले में अभिनिर्धारित किया कि सी.पी.सी. की धारा 115, जिसे 1999 के अधिनियम 46 द्वारा संशोधित किया गया है, अब विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील के निराकरण के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अनुमति नहीं देती है, चाहे वह विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश की पुष्टि, उलटने या संशोधन करने के लिए हो। इसका कारण यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का वाद या अन्य

कार्यवाही के अंतिम निपटारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे मामले में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उक्त संशोधन अधिनियम 46/1999 द्वारा धारा 115 (1) सीपीसी के प्रावधान के प्रतिस्थापन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उक्त स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति हमेशा उसे प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त होती है। 1999 के संशोधन अधिनियम 46 द्वारा सी.पी.सी. की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में कटौती से किसी विचारण न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी करने का उच्च न्यायालय का संवैधानिक क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता है और न ही समाप्त हो सकता था, न ही संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति समाप्त होती है या कम होती है। यह शक्ति धारा 115 सीपीसी में संशोधन से अप्रभावित प्रतिवेदित है, तथा इसका प्रयोग आत्म अनुशासन और व्यवहार के सुस्थापित नियमों के अधीन किया जा सकता है।

(10) उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित विधि के आलोक में यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में नए संशोधन के लागू होने के पश्चात विविध में पारित आदेश विचारण न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा दिए जाने या अस्वीकार किए जाने के के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई अपील पुनरीक्षणीय नहीं होगी, इसलिए पीड़ित पक्ष के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दायर करने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। इस मामले को देखते हुए मेरा मत है कि याचिका की पोषणीयता के संबंध में उत्तरवादीगण द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को नामंजूर किया जाना चाहिए और उसे खारिज किया जाता है। याचिका स्वीकार्य व योग्य मानी जाती है।

(11) अब गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जन्म तिथि में सुधार की अनुतोष के लिए सिविल क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने **एआईआर 1991 एस.सी. पृष्ठ 1546 (ईश्वर सिंह, अपीलकर्ता बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स एवं अन्य, प्रतिवादी)** में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख दिया और तर्क दिया कि वाद की स्थिरता का निर्णय कार्यवाही की दिनाँक के संदर्भ में किया जाना चाहिए और चूंकि वाद संस्थित किये जाने की दिनाँक पर याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त नहीं था, इसलिए वाद पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) सबसे पहले, इस न्यायालय की राय में निचली अपीलीय न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर क्षेत्राधिकार के विवाद्यक पर निर्णय नहीं लिया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण की जांच करते हुए अपीलीय न्यायालय ने संयोगवश कहा है कि चूंकि सिविल वाद व्यवहार न्यायालय के समक्ष वर्जित है, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और विचारण न्यायालय ने उसके पक्ष में निषेधाज्ञा देने में विधिक भूल की है। वाद की पोषणीयता के प्रश्न पर उपरोक्त प्रभाव का केवल संदर्भ ही इस बिन्दु पर निर्णय नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, यह अपीलीय न्यायालय का एक आकस्मिक अवलोकन

है और इसे याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है या नहीं, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से किया गया है।

(13) ऊपर उल्लिखित ईशर सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधि में यह बात सुस्थापित है कि जो मामले सी.पी.सी. की धारा 9 के अंतर्गत आते हैं, वे व्यवहार न्यायालय में चलने योग्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिलेख में जन्मतिथि को सुधार करने के लिए वाद पोषणीय होगा। वास्तव में, इस प्रकार के सुधार की मांग विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जा सकती है और जरूरी नहीं कि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपलब्ध अनुतोष का दावा करने के प्रश्न तक ही सीमित हो। वाद को बनाए रखने का निर्णय कार्यवाही संस्थित करने की तिथि के संदर्भ में किया जाना चाहिए चूंकि जिस दिनांक को वाद दायर किया गया था, उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-ए द्वारा प्रावधानित की गई कोई भी घटना नहीं हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता अनुतोष के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत फोरम से संपर्क नहीं कर सकता था और उक्त स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-ए के तहत व्यवहार वाद वर्जित नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि वाद की कुछ अनुतोष उस फोरम में चलने योग्य हैं, जहां इसे रखा गया है, तो फोरम के पास यह अधिकार नही है कि वह वादी के लिए अपना दरवाजा बंद रखे। इस मामले को देखते हुए, जहां तक जन्म तिथि से संबंधित अभिलेखों में सुधार की अनुतोष का प्रश्न है, व्यवहार न्यायालय को उस अनुतोष को देने की अधिकारिता है। सर्वोच्च

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि कर्मचारी सही जन्म तिथि के आधार पर भी व्यवहार वाद का निर्णय उसके पक्ष में आने तक सेवानिवृत्त हो चुका था, तो व्यवहार न्यायालय द्वारा पारिणामिक अनुतोष नहीं दी जा सकती।

(14) सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, अपीलकर्ता बनाम कमलाकर शांताराम वाडेकर एवं अन्य, प्रतिवादी प्रतिवेदित एआइआर 1975 एस.सी. 2238** के मामले में औद्योगिक विवाद के संबंध में व्यवहार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर लागू प्रतिपादित सिद्धांत को भी निम्नलिखित तरीके से निर्धारित कियाः

"**(1)** यदि विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है, न ही यह अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, तो उपचार केवल व्यवहार न्यायालय में ही है।

(2) यदि विवाद औद्योगिक विवाद है जो सामान्य या आम कानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है न कि अधिनियम के तहत, तो व्यवहार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक है, तथा यह संबंधित वादी के चुनाव पर छोड़ दिया जाता है कि वह अनुतोष के लिए अपना उपचार चुने जो किसी विशेष उपचार में प्रदान किए जाने योग्य है।

(3) यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बना किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है या अधिनियम के तहत बनाया गया दायित्व है, तो वादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपचार अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राप्त करना है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) यदि जिस अधिकार को लागू करने की मांग की जा रही है, वह अधिनियम के तहत बनाया गया अधिकार है जैसे अध्याय VA, तो इसके प्रवर्तन के लिए उपचार या तो धारा 33 जी है या औद्योगिक विवाद को उठाना, जैसा भी मामला हो।

बिंदु संख्या 1 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है और न ही यह अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, तो उपचार केवल व्यवहार न्यायालय में ही है। वास्तव में, ये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश हैं, जिनके आधार पर व्यवहार न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि कोई विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं और क्या यह वाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-ए या 2(के) के प्रावधानों के अंतर्गत वर्जित होगा या नहीं। वाद दायर करने की तारीख और उक्त तारीख को कर्मचारी की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात् मेरा विचार है कि इस बिन्दु पर निर्णय सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाना चाहिए था। प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण करने के लिए मामले से निपटते समय केवल संयोगवश यह कहते हुए अपीलीय न्यायालय उपरोक्त तरीके से यह नहीं कह सकता कि उसके पास वाद पर विचार करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश बिना कोई कारण बताए एक पंक्ति में पारित किया गया एक ऊपरी आदेश है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(15) यह स्थापित विधि के कारण, विचाराधीन विवाद के प्रति निर्णय लेने वाले के मन तथा निकाले गए निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत कड़ी होते हैं। कारण न बताना न्याय से वंचित करने के समान है। **(कृपया देखें 'एलेक्सजेंडर मैकनरी डूउले लिमिटेड - बनाम क्राबतरी' (1974 एलसीआर 120 जिसे क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपी एसआरटीसी, इटावा और अन्य बनाम होट लाल प्रतिवेदित ए.आइ.आर. 2003 एस.सी. पृष्ठ 1462 विस्तृत कंडिका 10 के प्रकरण में संदर्भित किया गया है।**

(16) निचली अपीलीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 **भाग-1 सीजीएलजे 248 (चंद्रकांत तुकाराम निकम और अन्य बनाम - अहमदाबाद नगर निगम और अन्य)** में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है, जो वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है । उक्त निर्णय के पहले कंडिका से ज्ञात होता है कि मामला अहमदाबाद नगर निगम के कामगारों से संबंधित था, जिन्होंने सिविल वाद दायर करके सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। यह स्वीकार किया जाता है कि , इस मामले में वाद बर्खास्तगी के आदेश पारित होने के बाद दायर किया गया था और इस बिंदु पर निर्णय अलग-अलग था।

(17) बहस के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता 31.3.2004 को ही सेवानिवृत्त हो चुका है। यह बहुत ही उचित रूप से कहा गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश और स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी निष्फल हो गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया गया कि मामले में लिखित बयान उत्तरवादी द्वारा पहले ही दाखिल किया जा चुका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है और मामला विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है और उसके मामले को कानून के अनुसार निर्णीत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(18) उपरोक्त चर्चाओं और बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों के आलोक में, इस न्यायालय की राय में विचारण न्यायालयों विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, उन्हें अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वाद के पोषणीयता के प्रश्न पर विवाद्यक विरचित करे और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद विधि के अनुसार निर्णय ले। याचिका स्वीकार की जाती है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक
पुष्यमित्र मलतियार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur